मध्यप्रदेश शासन
जल संसाधन विभाग
वृहद परियोजना नियंत्रण मण्डल

कक्ष क्रमांक 409, चौथी मंजिल, जल संसाधन भवन
तुलसी नगर, भोपाल –462003
Tel. 0755-2557255
Email - cbmpbpl@gmail.com

क्रमांक / साधि.स.–10 / 31 / 2014 / 4 भोपाल, दिनांक 30/ 01 / 2014

प्रति,

समस्त सदस्य – परियोजना संचालक, विश्व बैंक परियोजना
साधिकार समिति जल संसाधन विभाग
(जल संसाधन विभाग)

विषय :– साधिकार समिति (जल संसाधन विभाग) की 10वीं बैठक दिनांक 22 जनवरी 2014 का कार्यवाही विवरण।

मुख्य सचिव की अध्यक्षता में दिनांक 22 जनवरी,2014 को सम्पन्न हुई साधिकार समिति की 10वीं बैठक का कार्यवाही विवरण सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न है।

सहपत्र :– कार्यवाही विवरण

(एस.के. खरे) 30.1.2014
सदस्य सचिव
साधिकार समिति,
जल संसाधन विभाग

E.E (M/E)
31/1
P.D

कार्यालय परियोजना संचालक
विश्व बैंक परियोजनाएँ
जल संसाधन विभाग, भोपाल
आवक क्र. 537 दिनांक 31.1.14

मध्यप्रदेश शासन
जल संसाधन विभाग
वृहद परियोजना नियंत्रण मण्डल

मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन की अध्यक्षता में दिनांक 22 जनवरी,2014 को सम्पन्न साधिकार समिति की 10वीं बैठक का कार्यवाही विवरण

साधिकार समिति की 10वीं बैठक दिनांक 22 जनवरी,2014 को मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई बैठक में उपस्थित सदस्यों की सूची निम्नानुसार है :–

1.	श्री ॲन्टोनी जे.सी. डिसा, मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन	अध्यक्ष
2.	श्री प्रसन्न कुमार दास, अपर मुख्य सचिव,म0प्र0शासन,वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग	विशेष आमंत्रित सदस्य
3.	श्री एम.एम.उपाध्याय, कृषि उत्पादन आयुक्त, म0प्र0शासन	सदस्य
4.	श्री रजनीश वैश्य, प्रमुख सचिव, म0प्र0शासन,नर्मदा घाटी विकास विभाग	सदस्य
5.	श्री राधेश्याम जुलानिया, प्रमुख सचिव, म0प्र0शासन,जल संसाधन विभाग	सदस्य
6.	श्री मो.सुलेमान, प्रमुख सचिव, म0प्र0शासन, ऊर्जा विभाग	विशेष आमंत्रित सदस्य
7.	श्री एस.एन.मिश्रा, प्रमुख सचिव, म0प्र0शासन,नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग	विशेष आमंत्रित सदस्य
8.	श्री एस.के.मिश्रा, सचिव, म0प्र0शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग	विशेष आमंत्रित सदस्य
9.	श्री मनीष रस्तोगी, सचिव, म0प्र0शासन वित्त विभाग	सदस्य
10.	श्री एम.जी.चौबे, प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग	सदस्य
11.	श्री महेंद्र सिंह धाकड़,परियोजना संचालक,विश्व बैंक परियोजना,जल संसा.विभाग	सदस्य
12.	श्री राकेश मुंशी, सलाहकार, राज्य योजना आयोग,म0प्र0	सदस्य
13.	श्री एस.के.खरे, मुख्य अभियंता, बोधी, जल संसाधन विभाग	सदस्य सचिव

समिति द्वारा विषयवार लिए गए निर्णय निम्नानुसार हैं :–

खण्ड–एक

1.0 साधिकार समिति की नवमी बैठक दिनांक 13 दिसम्बर,2013 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि।

दिनांक 13 दिसम्बर,2013 को सम्पन्न हुई साधिकार समिति की नवमी बैठक के जारी किये गये कार्यवाही विवरण की पुष्टि की गई।

खण्ड –दो

2.0 साधिकार समिति, जल संसाधन विभाग की नवमी बैठक दिनांक 13 दिसम्बर,2013 में लिये गये निर्णयों पर की गई कार्रवाही की समीक्षा।

दिनांक 13 दिसम्बर, 2013 को सम्पन्न हुई साधिकार समिति की नवमीं बैठक में लिए गए निर्णयों पर, पूर्ण की गई कार्यवाही के अवलोकन उपरांत समिति द्वारा कार्रवाई पूर्ण होने से सभी कंडिकाएं समाप्त मान्य की गई।

खण्ड–तीन (नए एजेण्डा)

एजेण्डा आयटम क0–1

1.0 **पन्ना जिले के अंतर्गत पवई मध्यम सिंचाई परियोजना में मिट्टी के बांध का निर्माण कार्य सभी अवयवों सहित, नॉन ओवर फ्लो एवं ओवर फ्लो,सेन्ट्रल स्पिल वे का निर्माण, रेडियल गेट का निर्माण तथा बांध से संबंधित सम्पूर्ण कार्य।** (द्वितीय आमंत्रण) (सिस्टम टेण्डर नं 5045) (प्रकरण क0–45)

1.10 विषयांतर्गत निविदा में न्यूनतम निविदाकार मेसर्स राजकमल बिल्डर्स प्रा.लि. इंदौर के पंजीयन से संबंधित प्रकरण पर अद्यतन स्थिति से अवगत होते हुए समिति द्वारा निर्देश दिए गए कि सक्षम अधिकारी द्वारा गुण–दोष के आधार पर निर्णय लिया जाए।

एजेण्डा आयटम कमांक–2

2.0 **मेसर्स अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड मुम्बई के ग्राम टोंकी तहसील मनावर जिला धार में प्रस्तावित 2.5 मिलियन टन प्रतिवर्ष क्षमता के सीमेंट प्लान्ट एवं 40 मेगावाट क्षमता के केप्टिव पावर प्लान्ट हेतु ग्राम सेमल्दा तहसील मनावर जिला धार के पास नर्मदा नदी से 1.00 मि.घ.मी. वार्षिक जल आवंटन किये जाने बावत्।** (प्रकरण क0– 76/318)

विचार–विमर्श उपरांत मेसर्स अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड, मुम्बई के तहसील मनावर जिला धार में प्रस्तावित सीमेंट प्लान्ट एवं केप्टिव पावर प्लान्ट के लिए नर्मदा नदी से 1.00 मि.घन.मी. वार्षिक जल का आवंटन, नियमानुसार आवंटन शुल्क एवं प्रतिभूति राशि कंपनी द्वारा जमा करने के उपरांत, किया जाए।

एजेण्डा आयटम क0–3

3.0 **औद्योगिक क्षेत्र पीथमपुर एवं विशेष आर्थिक प्रक्षेत्र पीथमपुर, जिला धार के लिए मध्यप्रदेश औद्योगिक केंद्र विकास निगम, इन्दौर को माही मुख्य बांध से आवंटित 30 मि.घनमी. वार्षिक जल का आवंटन निरस्त करने बाबत्।** (प्रकरण कमांक–77/91)

विचारोपरांत माही मुख्य बांध से म0प्र0 औद्योगिक केंद्र विकास निगम, इन्दौर को औद्योगिक क्षेत्र पीथमपुर एवं विशेष आर्थिक प्रक्षेत्र पीथमपुर, जिला धार के लिए आवंटित 30 मि.घनमी. वार्षिक जल का आवंटन निरस्त किए जाने का निर्णय लिया गया।

<u>एजेन्डा क्रमांक–4.0</u>

4.0 मेसर्स हारवेस्ट एनर्जी प्रायवेट लि0, भोपाल के ग्राम तुकईथड़, ब्लॉक खकनार, जिला बुरहानपुर में प्रस्तावित 10 मेगावाट क्षमता के बायोमास बेस्ड पावर पलांट के लिये ताप्ती नदी से आवंटित 0.438 मिलियन घनमीटर वार्षिक जल का आंवटन निरस्त करने बाबत्। (प्रकरण क्रमांक –78/239)

विचारोपरांत मेसर्स हारवेस्ट एनर्जी प्रायवेट लि0, भोपाल द्वारा जमा राशि में से आवंटन शुल्क की राशि राजसात कर आवंटन निरस्त करने का निर्णय लिया गया।

<u>एजेण्डा आयटम क्र0–5.0</u>

5.0 एलायंस एनर्जी एण्ड स्टील लि0 रायपुर के तहसील बड़वारा, जिला कटनी में प्रस्तावित इन्टीग्रेटेड स्टील प्लांट के लिए महानदी से आवंटित 16.40 मि.घनमी. वार्षिक जल के स्थान पर 0.55 मि.घनमी. वार्षिक जल का आवंटन करने बाबत्। (प्रकरण क्रमांक–79/216)

विचारोपरांत कंपनी द्वारा जमा राशि में से पूर्व आवंटित जल 16.40 मि.घनमी. वार्षिक पर देय आवंटन शुल्क एवं आवेदित संशोधित मात्रा 0.55 मि.घनमी. वार्षिक जल पर देय आवंटन शुल्क एवं प्रतिभूति राशि काटकर शेष राशि जलकर में समायोजित किए जाने की शर्त पर कंपनी को आवंटित जल की मात्रा 16.40 मि.घन.मी. वार्षिक से घटाकर 0.55 मि. घनमी. वार्षिक करने का निर्णय लिया गया।

<u>एजेण्डा आयटम क्र0–6.0</u>

6.0 वर्धमान फैब्रिक्स, बुधनी (महावीर स्पिनिंग मिल्स लि0, लुधियाना की यूनिट) की बुधनी जिला सीहोर में प्रस्तावित इन्टीग्रेटेड टेक्सटाइल्स मिल्स के लिए नर्मदा नदी से आवंटित 7.30 मि.घनमी.वार्षिक जल की मात्रा को कम कर 5.11 मि.घनमी. वार्षिक जल का आवंटन करने बाबत्। (प्रकरण क्रमांक–80/85)

विचारोपरांत कंपनी द्वारा जमा राशि में से पूर्व आवंटित जल 7.30 मि.घनमी. वार्षिक पर देय आवंटन शुल्क एवं आवेदित संशोधित मात्रा 5.11 मि.घनमी. वार्षिक जल पर देय आवंटन शुल्क एवं प्रतिभूति राशि काटकर शेष राशि जलकर में समायोजित किए जाने की शर्त पर कंपनी को आवंटित जल की मात्रा 7.30 मि.घन.मी. वार्षिक से घटाकर 5.11 मि. घनमी. वार्षिक करने का निर्णय लिया गया।

<u>एजेण्डा आयटम क्र0–7.0</u>

7.0 मेसर्स बी.एल.ए. पावर लिमिटेड मुंबई के तह. गाडरवाड़ा जिला नरसिंहपुर में प्रस्तावित ताप विद्युत संयंत्र के लिए नर्मदा नदी से आवंटित 22.00 मि.घ.मी. वार्षिक जल की मात्रा को कम कर 4.00 मि.घ.मी. वार्षिक जल का आवंटन करने बाबत्।
(प्रकरण कमांक–81 / 92)

विचांरोपरांत कंपनी द्वारा जमा राशि में से पूर्व आवंटित जल 22.00 मि.घनमी. वार्षिक पर देय आवंटन शुल्क एवं आवेदित संशोधित मात्रा 4.00 मि.घनमी. वार्षिक जल पर देय आवंटन शुल्क एवं प्रतिभूति राशि काटकर शेष राशि जलकर में समायोजित किए जाने की शर्त पर कंपनी को आवंटित जल की मात्रा 22.00 मि.घन.मी. वार्षिक से घटाकर 4.00 मि. घनमी. वार्षिक करने का निर्णय लिया गया।

<u>एजेण्डा आयटम क्र0–8.0</u>

8.0 मध्यप्रदेश औद्योगिक विकास निगम, जबलपुर द्वारा प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र हरगढ़ तथा एस.ई.जेड. हरगढ़ को हिरन नदी से आवंटित 3.28 मि.घनमी.वार्षिक जल की मात्रा कम कर 0.365 मि.घनमी. वार्षिक जल का आवंटन करने बाबत्।
(प्रकरण कमांक– 82 / 163)

विचारोपरांत मध्यप्रदेश औद्योगिक विकास निगम, जबलपुर द्वारा जमा राशि में से पूर्व आवंटित जल 3.28 मि.घनमी.वार्षिक पर देय आवंटन शुल्क एवं आवेदित संशोधित मात्रा 0.365 मि.घनमी. वार्षिक जल पर देय आवंटन शुल्क एवं प्रतिभूति राशि काटकर शेष राशि जलकर में समायोजित किए जाने की शर्त पर कंपनी को आवंटित जल की मात्रा 3.28 मि. घनमी.वार्षिक से घटाकर 0.365 मि.घनमी. वार्षिक करने का निर्णय लिया गया।

<u>एजेन्डा कमांक–9.0</u>

9.0 नगरपालिका परिषद, कोतमा, जिला अनूपपुर,म0प्र0 को कोतमा नगर की पेयजल योजना के लिए केवई नदी से 2.80 मि.घनमी. वार्षिक (7.80 एम.एल.डी.)जल आवंटन बाबत् ।(प्रकरण कमांक–83 / 349)

नगर पालिका परिषद, कोतमा, जिला अनूपपुर की पेयजल योजना के लिये केवई नदी पर जल संग्रहण संरचना का निर्माण स्वयं के व्यय पर करने की शर्त पर 2.80 मि. घनमी. वार्षिक (7.80 एम.एल.डी) जल आवंटन करने का निर्णय लिया गया।

<u>एजेण्डा आयटम क्रमांक–10</u>

10 **नगरपालिका परिषद, अनूनपुर, जिला अनूपपुर, म0प्र0 को अनूपपुर शहर की पेयजल योजना के लिए तिपान नदी से 1.88 मि.घनमी. जल आवंटन बाबत्।** (प्रकरण क्रमांक–84/370)

नगर पालिका परिषद, अनूपपुर, जिला अनूपपुर की पेयजल योजना के लिये तिपान नदी पर जल संग्रहण संरचना का निर्माण स्वयं के व्यय पर करने की शर्त पर 1.88 मि. घनमी.(1879.75 मिलियन लीटर) वार्षिक जल आवंटन किए जाने का निर्णय लिया गया।

<u>एजेण्डा आयटम क0–11</u>

11 **नगरपालिका परिषद, आष्टा, जिला सीहोर को आष्टा नगर की पेयजल योजना के लिए रामपुरा खुर्द मध्यम परियोजना, आष्टा से 4.45 मि.घनमी. वार्षिक जल आवंटन बाबत्।**(प्रकरण क्रमांक– 85/49)

सीहोर जिले के आष्टा नगर की जल आवर्धन योजना के लिए रामपुरा खुर्द मध्यम सिंचाई परियोजना से आष्टा नगर तक पाईप लाईन द्वारा स्वयं के व्यय पर जल प्रदाय करने की शर्त पर नगरपालिका परिषद, आष्टा, जिला सीहोर को रामपुरा खुर्द मध्यम सिंचाई परियोजना से 4.45 मि.घ.मी. वार्षिक जल आवंटित करने का निर्णय लिया गया।

अंत में अध्यक्ष एवं उपस्थित सदस्यों का आभार मानते हुए बैठक समाप्त की गई।

अध्यक्ष, साधिकार समिति (मुख्य सचिव)
के यू ओ क्रमांक 393/मु.स./14/
दिनांक 27.01..2014 द्वारा अनुमोदित.

28.1.2014

(एस.के.खरे)
मुख्य अभियंता/सदस्य सचिव
साधिकार समिति,
जल संसाधन विभाग